

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 200 वीं बैठक दिनांक 23.08.2013 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में "चिन्तन" कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया:-

1. श्री विष्णुचरण मलिक, सचिव, जयपुर।
2. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक(आयोजना) जयपुर।
3. श्री दीपक नंदी, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम) जयपुर।
4. श्री चन्द्रशेखर पाराशर, अति. मुख्य नगर नियोजक/सदस्य सचिव, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुए:-

1. श्रीमती आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक,(एमपी) व बीपीसी(एलपी) जयपुर।
2. श्री हरीन्द्र सिंह, उपायुक्त, जोन-12, जयपुर।
3. श्री शक्ति सिंह: सिसोदिया, उपायुक्त, जोन-13, जयपुर।
4. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक (सेवानिवृत्त), बीपीसी (एलपी), जयपुर।
5. श्री गृणाल जोशी, उप नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जयपुर।
6. श्री ललित, सहायक नगर नियोजक, जोन-2 जयपुर।
7. श्रीमती ऊषा जैन, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क अधिकारी), जयपुर।
8. श्रीमती प्रीति शर्मा, सहायक नगर नियोजक मास्टर प्लान प्रकोष्ठ/बीपीसी (एलपी)

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा

200/23.08.2013

विषय :- बीपीसी (एलपी) की बैठक क्रमांक 199 वीं बैठक दिनांक 16.08.2013 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन।

बीपीसी (एलपी) की 199 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है।



एजेण्डा

200/23.08.2013

विषय :- सेक्टर प्लान के प्रगति रिपोर्ट के संबंध में।

प्रकरण विचार विमर्श हेतु समिति के समक्ष रखा गया सेक्टर प्लान के प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि निदेशक पुरातत्व विभाग व उपवन संरक्षक को नवीन तैयार किये जा रहे सेक्टरों की सड़कों के बारे में सुझाव हेतु पत्र प्रेषित किये गये।

एजेण्डा संख्या-1

200/23.08.2013 (जोन-2)

विषय :- ग्राम आमेर खसरा नंबर 4006 किता 1 रकबा 0.11 हैक्टेयर भूमि का होटल प्रयोजनार्थ 90ए/नियमन बाबत।

प्रकरण में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि के परिपेक्ष्य में सड़क की उपलब्धता के संबंध में जोन से स्पष्ट राय ली जावे। तत्पश्चात् प्रकरण को समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्या-2

200/23.08.2013 (जोन-12)

विषय :- निजी खातदारी की प्रेस्टीज गार्डन विस्तार योजना के भूखण्ड संख्या 205 से 207 के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

अनुमोदित योजना प्रेस्टीज गार्डन विस्तार में भूखण्ड संख्या 205 का क्षेत्रफल 193.33 वर्गगज भूखण्ड संख्या 206 का क्षेत्रफल 227.95 वर्गगज व भूखण्ड संख्या 207 का क्षेत्रफल 324.44 वर्गगज है। तीनों भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 745.72 वर्गगज है। अतः एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् तीनों भूखण्ड संख्या 205, 206 व 207 में जविप्रा द्वारा जारी पट्टे के अनुरूप कुल क्षेत्रफल 745.72 वर्गगज का पुनर्गठन स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रार्थी के कब्जे में योजना सीमा से बाहर स्थित भूमि 340.88 वर्गगज का पुनर्गठन स्वीकृत नहीं किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-3

200/23.08.2013 (जोन-13)

विषय :- आवेदक महिमा, श्वेता, गरिमा, शुभा, तृप्ति, सविता, स्मिता पुत्रियां श्रीमती सावित्री देवी के द्वारा 18.81 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन बाबत।

प्रार्थी द्वारा बीपीसी (एलपी) की बैठक दिनांक 17.05.2013 में लिये गये निर्णय की पालना में योजना के दक्षिण में स्थित योजना से 80' लिंक देते हुए संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये गये जिसे समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु रखा गया। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि :-

1. प्रार्थीयान द्वारा दिये गये संशोधित मानचित्र (भाग 'ए') के दक्षिणी ओर स्थित योजना के (भाग 'बी') से 80' लिंक रोड रखते हुए टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानों के अनुसार निम्न तकनीकी विश्लेषण रखते हुए अनुमोदित किया जावे :-

क्र. सं.	उपयोग	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1. - ए	आवासीय	98789.81 Sq. Yds.	46.02 %
बी	5 % E.W.S. HOUSING AREA OF	5071.67 Sq. Yds.	2.36 %
	Total Housing Area	103861.48 Sq. Yds.	48.38%
2. - ए	व्यावसायिक Multi Storied	8586.60 Sq. Yds.	4.00%
बी	व्यावसायिक Phutkar Business (Jan Sathi Yojna)	4295.00 Sq. Yds.	2.00%
3.	सड़क	54881.48 Sq. Yds.	25.58%
4.	सुविधा क्षेत्र (पार्क)	21485.83 Sq. Yds.	10.00%
5.	सुविधा क्षेत्र	21554.61 Sq. Yds.	10.04%
	कुल	214665.00 Sq. Yds.	100.00%

2. प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत ईडन ग डन योजना जिसकी 90-बी की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है व योजना को बीपीसी (एलपी) की 105वीं बैठक दिनांक 21.03.2007 में अनुमोदित किया जा चुका है। कैम्प आयोजित किये जाने हेतु योजना के भूखण्ड धारियों द्वारा ज्ञापन दिये गये। उक्त संदर्भ में समिति द्वारा पत्रावली पर उल्लेखित सम्पूर्ण तथ्यों का अवलोकन किया गया व पाया गया कि बीपीसी की 105वीं बैठक दिनांक 21.03.2007 में अनुमोदित मानचित्र रिलीज नहीं हुए हैं एवं प्रार्थीयान द्वारा पुनः संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं अतः समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि जोन द्वारा योजना के भाग-बी की जोन द्वारा जेडएलसी की जाकर प्रकरण को बीपीसी (एलपी) में प्रस्तुत किया जावे।
3. यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व की 90 बी एवं कमिटमेंट के मध्येनजर इसी योजना के रिंग रोड से प्रभावित भाग, रिंग रोड के अंतिम एलायमेंट तय होने के पश्चात् नियमन की कार्यवाही की जावे।



एजेण्डा संख्या-4

200/23.08.2013 (मा. प्लान)

विषय :- बीपीसी (एलपी) की बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों के सम्बन्ध में विवरण एवं चैक लिस्ट।

प्रकरण समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु रखा गया। प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-5

200/23.08.2013 (जोन-11)

विषय :- औद्योगिक योजना कृष्णा कुंज के अनुमोदन बाबत।


प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया एवं विचार विमर्श पश्चात निम्न संशोधनों के साथ मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिये गये:-

1. बस टर्मिनल को योजना के सुविधा क्षेत्र में शामिल किया जावे।
2. ट्रक टर्मिनल को जविप्रा हेतु आरक्षित/सुविधा क्षेत्र के लिए समर्पित किये जाने का निर्णय लिया गया।
3. एच. टी. लाईन की सुरक्षित दूरी से प्रभावित भूखण्डों का नियमन, एच. टी. लाईन को शिफ्ट कराकर अथवा भूमिगत होने के पश्चात ही किया जावे।
4. मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार प्रस्तावित सड़कों का डिमाकेशन कर सड़क मार्गाधिकार जविप्रा को निःशुल्क समर्पित किया जावे।
5. योजना क्षेत्र में दक्षिणी-पश्चिमी दिशा से उत्तरी-पूर्वी दिशा की ओर जाने वाली गैस पाईप लाईन का मध्य रेखा मानते हुए दोनों ओर 9-9 मीटर चौड़ा सेप्टी कोरीडोर व साथ में दोनों ओर 18-18 मीटर चौड़ी सड़क छोड़ते हुये मानचित्र लिया जावे।
6. भूखण्ड संख्या: I/A-6 व I/J-2 के जंक्शन के सामने से मास्टर विकास योजना-2025 की प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क के साथ गुजर रही गैस पाईप लाईन को मध्य रेखा मानते हुए दोनों ओर 9-9 मीटर चौड़ा सेप्टी कोरीडोर व साथ में दोनों ओर नियमानुसार मार्गाधिकार रखा जावे।
7. प्रस्तावित योजना में आवासीय क्षेत्र में आन्तरिक सड़कें 9 मीटर प्रस्तावित की गई है। अतः आवासीय क्षेत्र में, आवासीय भूखण्डों के सामने प्रस्तावित 9 मीटर सड़कों को स्वीकृत किया गया।
8. औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण विभाग/प्रदूषण विभाग के सक्षम स्तर से अनुमति ली जावे।
9. भूखण्डों में रीको के मानदण्डों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी एवं टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधान लागू होंगे।
10. EWS/LIG हेतु आरक्षित भूखण्ड पर फ्लैटेड निर्माण एवम् ग्रुप हाउसिंग नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति लेकर की जावे।



11. बीपीसी (एलपी) की 192 वीं बैठक दिनांक 04.04.2013 को निर्णय अनुसार उक्त योजना में खसरा नं. 2371 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मु. चाह सरकारी भूमि शामिल होने के कारण समान क्षेत्रफल के बराबर योजना के भूखण्ड संख्या बी-9 क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर जविप्रा के हक में समर्पित करवाये जाने का निर्णय लिया गया।


बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

 2.9.13
अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.)/बीपीसी/2013/डी-193
दिनांक: 2/9/13

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयाजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (पूर्व)/पश्चिम/एलपीसी/भूमि, जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त, जोन-.....जविप्रा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

 2.9.13
अति मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।